

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

शुद्धि बनाम शमदगाल

किस्म मुकदमा 212 R7A मु.नं. 199 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
01 $\frac{12}{25}$	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 26.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
26 $\frac{12}{25}$	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 10 $\frac{02}{26}$ का पेश हो।</p>
10 $\frac{02}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 12 $\frac{03}{26}$ का पेश हो।</p>
12 $\frac{03}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उपखण्ड उप. पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 13 $\frac{04}{26}$ का पेश हो।</p>
13 $\frac{04}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उपखण्ड उप. पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि. 17 $\frac{04}{26}$ का पेश हो।</p>
17 $\frac{04}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनु. वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं का अड-काउ-आवास लगेवाई गई इस्त के बावजूद न्यायालय सत्रम में सायंकाल तक भी कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी स्तर पर अकम चेंदनी। अकम हाजिरी में प्रारिण क्रिये जानें के कारेवा रिमें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमाड टोकस बाफ तलबील कायिल उपलव्हे।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर